

C.F. 16.7.16 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष

2015-16 R - 2015 - PBK 116

पुनरीक्षण प्र.क्र. / 2014

- (1) रामा पिता हीराजी मुलेवा आयु 75 वर्ष
धंधा काशत निवासी ग्राम सुरपाला
तहसील गोगावां जिला खरगोन
- (2) पप्पु पिता नारायण दत्तक पिता रामाजी मुलेवा
आयु 25 वर्ष धंधा काशत निवासी ग्राम सुरपाला
तहसील गोगावां जिला खरगोन

— आवेदकगण

विरुद्ध

- (1) ज्योति पति देवेन्द्र सेवी आयु 22 वर्ष
निवासी बालकुआं तहसील व जिला बड़वानी

— अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता ।

इसमें आवेदकगण श्रीमान तहसीलदार तहसील गोगावां
इन्होंके रा.प्र.क्र.5/अ-10/2013-14 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30/5/2014
जिसमें उन्होंने अन्तर्गत धारा 250(3) भूराजस्व संहिता अन्तरिम आदेश पारित कर कृषि
भूमि का आधिपत्य अवैधानिक रूप से अनावेदक को दिलाया होने से व्यथित होकर यह
पुनरीक्षण याचिका अन्य कारणों के साथ साथ निम्न कारणों से प्रस्तुत करते हैं:-

यह पुनरीक्षण याचिका नियत समयावधि में नियत न्यायशुल्क
पर प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय के विवादित आदेश दिनांक
30/5/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रस्तुत है।

नाम तथा दिनांक	कायवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
१६७. २०१५	<p>जावेइकाण जो और वे सुना -इतने कोई जो वा ईश्वर नहीं। तो लार पुकार करवाई गई, उकेर गी कोई आधिकर नहीं। इस पक्षकार नाम में से लिखत थिया चाहता है।</p> <p style="text-align: right;">३६२४</p>	